न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 185/2020, जिला दौसा

1. तेजकॅवर पुत्र रामपाल जाति कुम्हार, निवासी गण्डलाई तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा। (राज.)

—अपीलांट

बनाम

1. रामनिवास पुत्र रामनाथ जाति मीना निवासी गण्डलाई तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा। (राज.)
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तह0 रामगढ पचवारा जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 18.08.2015 बउनवानी प्रकरण रामनिवास बनाम तेजकंवर मु0नं0 22/14

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री गिर्राज प्रसाद गढवाल
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 2 श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक —25.07.2022

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 18.08.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :—

आंवटन सलाहकार समिति लालसोट ने दिनांक 26.02.1976 को खसरा नं. 106 मिन में से 6 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम गण्डलाई तहसील तत्कालीन लालसोट मु0 रामगढ पचवारा नदी पेटे की भूमि जिसकी किस्म गैर मु0 तथा बंजड थी जो अपीलांट को आंवटन कर दी गई। परन्तु 39 वर्ष बाद रेस्पोडेन्ट सं. 1 रामनिवास द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) का अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष दिनांक 20.08.2014 को पेश किया जिस पर बाद रिपोर्ट तलबी अपीलांट की गई जिस पर अपीलांट की बिना प्रोपर तामील किये बिना चस्पानगी के आदेश के बिना अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 30.06.2015 को एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 18.08.2015 को यह पारित किये गये आंवटन कमेटी ने आंवटन से पूर्व भूमि की किस्म के संबंध में पटवारी हल्का से सही रिपोर्ट प्राप्त नहीं की। विवादग्रस्त भूमि आंवटन के समय काबिल काश्त नहीं होकर नदी पेटे की भूमि थी जिसका आंवटन नहीं किया जा सकता। अपीलांट तेजकंवर पुत्र रामपाल जाति कुम्हार निवासी गण्डलाई तह0 रामगढ पचवारा जिला दौसा को किया गया आंवटन आदेश दिनांक 26.02.1976 खारिज किये जाने के आदेश दिये गये।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता अनुपस्थिति। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम गण्डलाई तह0 रामगढ पचवारा में स्थित भूमि आराजी ख0नं0 106 मिन में से दिनांक 26.02.1976 को अपीलांट को तथा अन्य कई लोगों को इसी नम्बर में से भूमि आंवटित की गई थी। उक्त भूमि दौराने एकीकरण सम्वत 2021 में गैर मुमकिन बंजड भूमि थी जिसे आंवटन रूल्स 1970 के कायदे कानून के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि को काबिल काश्त मानते हुए बारानी—2 में परिवर्तित कर प्रार्थी अपीलांट को दिनांक 26.02.1976 को इसी खसरा नं0 106 मिन में

Scanned by CamScanner

से 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि नामान्तरकरण संख्या 34 के आधार पर सिवाय चक भूमि मानते हुए एवं प्रार्थी का इस भूमि पर कब्जा काश्त मानते हुए खातेदारी का नामान्तरकरण राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया गया। तब से प्रार्थी करीबन 39–40 साल से लगातार आंवटन शुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। परन्तु 39 वर्ष बाद रेस्पोडेन्ट सं. 1 रामनिवास द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) का अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष दिनांक 20.08.2014 को पेश किया जिस पर बाद रिपोर्ट तलबी अपीलांट की गई जिस पर अपीलांट की बिना प्रोपर तामील किये बिना चस्पानगी के आदेश के बिना अपीलांट की अनुपस्थिति में बसाज तामिल कुनिन्दा से झूठी इत्तला रिपोर्ट तैयार करवा कर प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 30.06.2015 को एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 18.08.2015 को अन्तिम रूप से अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 14.09.2015 को हुई। जिस पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उसी दिन नकल का आवेदन प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आदेश की प्रति दिनांक 14.09.2015 को प्राप्त हुई। इसलिए यह अपील निर्धारित समयावधि में जानकारी से 30 दिन में प्रस्तुत की गई है। अपीलांट उक्त निर्णय से पीडित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित नहीं किया 39 वर्ष बाद अपीलांट को उसके खातेदारी अधिकारों के प्रति न्याय का समय का भी ध्यान नहीं रखा। यह जमीन अपीलांट को आंवटन रूल्स 1970 राज्य सरकार द्वारा नियमों की पालना करते हुए उसी दिन कई लोगो को आंवटन किया गया था। बरोज आंवटन यह जमीन बंजड थी जिसका स्पष्ट अंकन खतौनी एकीकरण सम्वत 2021 में है। उसके पश्चात यह भूमि राज्य सरकार द्वारा बारानी–2 करते हुए आंवटन की गई थी। आंवटन का यह कायदा होता है कि किसी भी ऐसी भूमि जिस पर किसी व्यक्ति का कब्जा हो और वह भूमि काबिल काश्त हो तो राज्य सरकार आंवटन रूल्स के तहत उसे कब्जाधारी को आंवटित कर दी जाती है तथा आंवटित की गई भूमि पर बरोज आंवटन अपीलांट का कब्जा था उसे सारे नियमों की पालना करते हुए जमीन आंवटित की गई है। गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण खुला है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा अपने पक्ष में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जो नदी पेटे की भूमि साबित करता हो। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश शून्यपूर्ण एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आंवटन सलाहकार समिति लालसोट द्वारा समस्त आंवटन नियमों की अवहेलना कर अप्रार्थी को आंवटन किया है, जो निरस्तनीय है। नदी पेटे की भूमि किसी को भी कानूनन आंवटन नहीं की जा सकती परन्तु उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन का अधिकार नहीं होने के बावजूद भी गलत व अवैध तरीके से उक्त भूमि की किस्म बी सैकिण्ड में परिवर्तन कर आंवटन कर दिया गया। आवंटन हेतु कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी। आंवटी के पास खुद की खातेदारी की भूमि भी थी तथा भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता था। नदी–नाले की भूमि का आंवटन नहीं किया जा सकता इस बाबत माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित कर आदेशित किया कि यदि नाले, जलाशय, झील का किसी भी जल प्रवाह की भूमि का आंवटन कर भी दिया गया हो तो पुनः उसी किस्म में दर्ज कर दी जावे। इस बाबत राज्य सरकार द्वारा भी आदेश प्रसारित कर दिये है। उक्त आंवटित भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारेज की जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 14.09.2015 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट को ग्राम

Scanned by CamScanner

गण्डलाई तहसील रामगढ पचवारा में स्थित भूमि आराजी ख.नं. 106 मिन में से दिनांक 26.02.1976 को इसी खसरा नं. 106 मिन में से 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि आंवटित की गई थी। आवंटन आदेश दिनांक 26.02.1976 निरस्त करने हेतु लगभग 39 वर्ष बाद एक प्रार्थना पत्र कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 की धारा 14(4) अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने उक्त आंवटन को दिनांक 18.08.2015 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये। अपीलान्ट को वर्ष 1976 में भूमि आंवटन की गयी थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामनिवास ने 39 वर्ष बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के यहाँ दिनांक 20.08.2014 को आवंटन निरस्त कराने हेतु अपील प्रस्तुत की गयी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वंय ही कथित रूप से अतिक्रमी थे। जिन्हें किसी भी प्रकार से आंवटन निरस्त करवाने का कोई अधिकार नहीं था। यदि आंवटन निरस्त कराना था तो तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भू आंवटन) नियम 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत कर आंवटन निरस्त करवाने की कार्यवाही करनी चाहिये थी। यह कहना कि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कभी कब्जा ही नही है, यह स्वीकार योग्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट यदि भूमि पर अधिकार मानता है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 में खातेदारी हेतु दावा करना चाहिये था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। अपील रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.08.2014 को करीवन 39 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की थी, जो निराशाजनक रूप से विलम्बित थी तथा विलम्ब के लिये प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम भी पेश नहीं किया गया था। हम समझते हैं कि समयावधि के प्रावधान भी विधि के महत्वपूर्ण प्रावधान है जिनकी पालना किया जाना आवश्यक है। न्यायिक रूप से सर्वप्रथम यदि विलम्ब का कारण संतोषजनक एवं उचित होने की स्थिति में ही विलम्ब को क्षमा कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये अन्यथा प्रकरण मियाद के विन्दु पर ही खारिज कर देना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने विलम्ब के लिये कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.2015 के द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बिना प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार की है। अपीलान्ट प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.08.2015 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये विना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलकर्ता की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.08.2015 निरस्त किया जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजी से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner